27.2.20 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक व सरकारी पेशकार उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी मानसिंह पिता गम्भीरसिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मौजा नड़ियाना खुर्द का पुराना आराजी नम्बर 400/211 रकबा 10 बीघा उसके द्वारा क्रय शुदा है। जिसको भू-प्रबन्ध के दौरान मात्र ~~[illegible]~~ 0.29 हे० खाते में दर्ज कर शेष भूमि सिमसरकार दर्ज कर दी गई जिसे पुनः मेरे खाते में दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी के आराजी नम्बर 400/211 के नये नम्बर 563 एवं 564 बने। जो कि पूर्व रकबे से कम रकबे को दर्शाते है। तहसीलदार गढ़ी ने जवाब मय रिकार्ड प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रार्थी का भू-प्रबन्ध से पूर्व आराजी नम्बर 400/211 रकबा 10 बीघा दर्ज रिकार्ड थी जिसके नये सर्वे नम्बर 563 व 564 बनाये गये एवं प्रार्थी के कुल 10 बीघा रकबे की तुलना में कम रकबा दर्ज किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, तहसीलदार के जवाब से यह जाहिर होता है कि प्रार्थी के पूर्व कुल रकबे की तुलना में रकबा कम दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने यह साबित नहीं किया कि उसका शेष रकबा किसके नाम या किस आराजी में शामिल है। वर्तमान नक्शा नजरी का अवलोकन किया गया। वर्तमान ~~[illegible]~~ आराजी नम्बर 563 एवं 564 के करने पर ~~[illegible]~~ आराजी नम्बर 563 एवं 564 के मध्य 564/1648, [illegible] आराजी [illegible] है तथा 1653 आराजी नम्बर 563 [illegible] नम्बर 564/1653 को किता में शामिल, [illegible] सर्वे नम्बर 550 आराजी नम्बर 563 व 564 से दूर है।

भू-प्रबन्ध से पूर्व आराजी नम्बर 400/211 एक ही सर्वे नम्बर था और भू-प्रबन्ध के पश्चात्

K.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.11 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested

यदि उक्त आराजी के एक से अधिक सर्वे नम्बर बने है तो वो आपस मे एक-दूसरे से संयोजित होने चाहिये थे। प्रार्थी आराजी नम्बर 564/1548, 564/1653 एंव 564/1654 की वर्तमान स्थिति प्रकट करने में विफल रहा। जबकि उक्त सभी आराजीयात स्वंय की वर्तमान खातेदारी आराजी 563 एंव 564 के पास अवस्थित है।

अत: प्रार्थी द्वारा चाहा गया मतलूब आराजी नम्बर 550 बिलानाम श्रीसरकार मे से दिया जाना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि उक्त बिलानाम आराजी प्रार्थी की वर्तमान आराजियात से दूर स्थित है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.2.20 को सुनाया गया।

Sd/-
27/2/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.11 13:33:21 IST
Reason: SelfAttested